प्रेस नोट 02/11/2023

पुलिस मुठभेड़ मे 07 गौ–तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 02 पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक लदे 07 राशि गोवंश व 03 अवैध/प्रतिबन्धित तमंचा व कारतूस व एक स्कार्पियो वाहन बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी/स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना मुहम्मदाबाद पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 02.11.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सूरहुरपुर मोड़ के पास से पुलिस मुठभेड़ में 07 गोकसी/गोतस्कर को गिरफ्तार किया गया जिसमें अभियुक्तगणो के पास से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद नाजायज तमन्चा 303 बोर, तीन अदद मोबाइल तथा 02 पिकअप वाहनों क्रमशः (यूपी54एटी1873, यूपी61बीटी1839) में क्रूरतापूर्वक लदे कुल 07 राशि गोवशींय पशु बरामद किये गये। घटना में प्रयुक्त दोनो पिकअप व स्कार्पियो (यूपी60एम0009) वाहनों को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. गुलाम रब्बानी पुत्र मो0 इस्राइल निवासी अलीनगर थाना सरायलखंयी जनपद मऊ।
2. नसीम अहमद पुत्र मुस्तकीम निवासी नोकहट फतेहपुर ताल नरजा थाना कोपागज जनपद मऊ।
3. सोनू कुमार पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम फतेहपुर ताल नजरा थाना कोपांगज जनपद मऊ।
4. खुर्शीद अहमद पुत्र मुख्तार अहमद निवासी ग्राम बिचलापुर सरवां थाना सरायलखंसी मऊ।
5. जाहिद अली पुत्र इकबाल निवासी हसनपुर थाना सरायलखन्शी जनपद मऊ।
6. अली मुख्तार पुत्र इशु अहमद निवासी निजामुद्दीनपुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।
7. सलमान अहमद पुत्र मुस्तफा निवासी जलालाबाद थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।

बरामदगीः–

1. सात (07) राशि गोवशींय पशु
2. एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
3. एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर
4. एक अदद नाजायज तमन्चा 303 बोर व एक अदद मिस कारतूस 303 बोर।
5. 02 पिकअप व एक स्कार्पियो वाहन।
6. तीन अदद मोबाइल फोन

पंजीकृत अपराध

1. मु0अ0सं0 366/2023 धारा 307 आईपीसी थाना मु.बाद गोहना जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 367/2023 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना मु.बाद गोहना जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 368/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मु.बाद गोहना जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 369/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मु.बाद गोहना जनपद मऊ
5. मु0अ0सं0 370/2023 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना मु.बाद गोहना जनपद मऊ

गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद संजय कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 अवधेश कुमार यादव, उ0नि0 राजेश कुमार वर्मा, का0 अखिलेश सिंह व का0 विजय यादव व का0 चन्द्रभान यादव व का0 प्रेमप्रकाश का0 शम्भू शुक्ला व का0 संजय यादव।

2. उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा, एसओजी प्रभारी मय हमराह हे0का0 विवेक सिंह (सर्विलास सेल), का0 बृजेश मौर्या (सर्विलास सेल) का0 पंकज यादव, का0 ऋषभ द्विवेदी व का0 अनुदेश दत्त बनौधा, का0 अविनाश धर दुबे।

3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिह, स्वाट प्रभारी/ थानाध्यक्ष कोपागंज मय हमराह का0 विराट पटेल, का0 आदर्श मिश्रा , का0 रोहित सिंह, का0 अश्वनी गोड (सर्विलास सेल)।

''यातायात जागरुकता माह नवम्बर–2023''

यातायात माह नवम्बर–2023 के क्रम में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के नेतृत्व/निर्देशन में मऊ पुलिस द्वारा व्यापक जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरुक करने के लिये विभिन्न प्रयास किये जाने के क्रम में सम्मानित आमजन को सूचित किया जाता है कि प्रायः देखने में आ रहा है कि कई लोग पटरी एवं नालों इत्यादि तथा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है या फिर अस्थाई अतिक्रमण के रुप में गिट्टी, बालू, ईंट इत्यादि रख देते हैं तथा कुछ लोग अपनी गाड़ियां सड़क के किनारे पार्क कर देते हैं जिससे आवागमन बाधित होता है जिसके कारण ट्रैफिक दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है तथा कई जाने जा रही हैं जिसमें कई जवान लोग असामयिक काल कवलित हो रहे है तथा ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ अवैध अतिक्रमण से होने वाले अन्य नुकसान जैसे गन्दगी इत्यादि भी सामने आ रही है। अतः आप सभी से अपील की जाती है कि सड़क के किनारे जो भी शासकीय भूमि है अथवा नाले इत्यादि पर जो भी स्थाई अथवा अस्थाई अतिक्रमण है उसे हटा दें, इसे अन्तिम नोटिस समझा जाय। इसके फलस्वरुप पूरे जनपद मऊ में अतिक्रमण के विरुद्ध एक वृहद अभियान चलाया जायेगा। यदि किसी के द्वारा अवैधानिक गतिविधि करते हुये शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की जायेगी तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। यह भी देखने में आ रहा है कि कुछ लोग सड़क किनारे या फिर शासकी भूमि जैसे रेलवे, ग्राम समाज, पीडब्लूडी, नगरपालिका एवं अन्य विभाग की भूमि पर दरगाह एवं अन्य धार्मिक स्थल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हे सचेत किया जाता है कि वह इस प्रकार के अतिक्रमण को स्वयं हटा दें अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इस अतिक्रमण के कारण यदि कोई शासकी छति होती है तो उसक हर्जा–खर्चा एवं जुर्माना इनसे वसूल किया जायेगा। इसको गम्भीरता से लें तथा अपने जनपद को स्वच्छ, सुन्दर एवं ट्रैफिक दुर्घटना रहित बनाने में शासन–प्रशासन का सहयोग करें।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 के डाटा के अनुसार कुल 148 लोगों की जानें गईं जिसमें ओवर स्पीड, गलत साइड में ड्राईविंग, शराब एवं अन्य नशीले पदार्थो का सेवन कर ड्राईविंग करने तथा सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण या फिर वाहन खड़ा होना इत्यादि मुख्य कारण रहे। शहर एवं कस्बों में मार्ग के दोनों तरफ अवैध अतिक्रमण, फुटपाथ/पटरी पर ठेले एवं अन्य कारोबार की वजह से यातायात व्यवस्था में जाम की स्थिति पैदा हो जा रही है। सभी को सचेत किया जाता है कि ऐसा कदापि न करें अन्यथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।